# अनुदान संख्या 88 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
# GRANT No. 88–MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 1377,26,00 | 1377,28,00 | 1231,36,08 | –145,91,92 |
| पूरक | Supplementary | 2,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 141,96,66 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | 179,75,00 | 173,59,60 | –6,15,40 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 6,15,85 |

***टीका और टिप्पणियां***

***Notes and comments***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | | | | |
| मू. | O. | 6930.00 | 5675.34 | 5393.55 | –281.79 |
| पु. | R. | –1254.66 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | Major Head "2235" Social Security and Welfare | | | | |
| मू. | O. | 32958.00 | 27893.02 | 27801.24 | –91.78 |
| पू. | S. | 1.00 | | | |
| पु. | R. | –5065.98 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान<br>Total grant | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | बचत-<br>Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में)<br>(In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2552"<br>उत्तर पूर्वी क्षेत्र | Major Head "2552"<br>North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 6144.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –6144.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601"<br>राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601"<br>Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 89743.00 | 88055.59 | 88022.58 | –33.01 |
| पु. | R. | –1687.41 | | | |

(I) 8383.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8144.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण-शिक्षा - अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए रिहायशी विद्यालय"- 850.00 लाख रु. स्कीम तैयार न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक कल्याण - बाल कल्याण - देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामकाजी बच्चों के कल्याण संबंधी स्कीम" - 700.00 लाख रु. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कीम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" - 6144.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.8383.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.8144.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Castes – Education – Residential School for Scheduled Castes Students" – Rs.850.00 lakhs – due to non-formulation of the scheme.

(B) Major Head "2235" – "Social Welfare – Child Welfare – Scheme for Welfare of Working Children in need of care and Protection" – Rs.700.00 lakhs - due to late approval of the scheme by the Honourable Supreme Court.

(C) Major Head "2552" – "Other Expenditure- Lump sum provision for schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- Rs.6144.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(घा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्रों को रिहायशी पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिए सहायता'' - 450.00 लाख रु. स्कीम तैयार न किए जाने के कारण थे।

(D) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes – Education - Assistance to meritorious Scheduled Caste Students for pursuing studies in residential Public schools" – Rs.450.00 lakhs – due to non-formulation of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''2225'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(II) Under Major Head "2225" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''पिछड़े वर्गों का कल्याण - निदेशन और प्रशासन - आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग'' - 125.64 लाख रु. की बचत (166.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविधान के संशोधन की वजह से पूरे वर्ष आयोग के कार्य न करने के कारण हुई।

(A) "Welfare of Backward Classes – Direction and Administration -National Commission for Economically Backward Classes" - saving of Rs.125.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.166.00 lakhs) was due to non-functioning of the Commission for full year owing to revision of constitution.

(खा) ''अनुसूचित जातियों की कल्याण - शिक्षा - बाल छात्रावास'' - 151.24 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Welfare of Scheduled Castes – Education- Boys Hostels" – saving of Rs.151.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(गा) ''सामान्य - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान'' - 126.59 लाख रु. की बचत (480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "General - Aids to Voluntary Organisations– Grants to Non-Government Institutions for running Pre-examination Training Centres for Scheduled Castes/Tribes"- saving of Rs.126.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.480.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विश्वविद्यालयों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अपर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of inadequate proposals from Universities and Union Territory Governments.

(III) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''सामाजिक कल्याण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(III) Under Major Head "2235" – "Social Welfare" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''विकलांग व्यक्तियों का कल्याण'' -

(A) "Welfare of Handicapped" -

(क) ''राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक रूप से मंद और अस्थिविकलांग संस्थान का विस्तार और सुधार'' - 969.00 लाख रु. की बचत (5974.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना कार्यकलाप शुरू न किए जाने और संस्थानों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई ।

(a) "Expansion and Improvement of National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopaedically Handicapped" – saving of Rs.969.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5974.00 lakhs) was due to non-taking up of plan activities and availability of unspent balance with the Institutes.

(ख) ''अन्य स्कीमें'' - 2843.04 लाख रु. की बचत (17999.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ मिश्रित क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना न किए जाने, कुछ स्कीमें तैयार न किए जाने, तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा कम प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने और निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Others Schemes" – saving of Rs.2843.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17999.00 lakhs) was due to non-setting up of some Composite Regional Centres, non-formulation of some schemes, clearance of less proposals by the Technical Advisory Committee and non-receipt of inspection reports.

(ख) ''स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 311.50 लाख रु. की बचत (1879.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं के लिए सिफारिशें/निरीक्षण रिपोर्टें कम प्राप्त होने के कारण हुई ।

(B) "Assistance to Voluntary Organisations – Assistance to Voluntary Organisations for programmes relating to Aged" – saving of Rs.311.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1879.00 lakhs) was due to receipt of less recommendations/ inspection reports for ongoing projects.

(गा) ''अन्य कार्यक्रम - सूचना और जन शिक्षा कक्ष'' - 221.38 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न अभिकरणों से पूरे/पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Other Programmes – Information and Mass Education Cell" – saving of Rs.221.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of complete/ adequate proposals from various agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(IV) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(A) "Grants for Central Plan Schemes" –

(क) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमें'' - 707.60 लाख रु. की बचत (40085.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिहार, गोआ, झारखंड, केरल और पंजाब की राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Welfare of Scheduled Castes-Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan - Schemes under Special Central Assistance for Scheduled Caste Component Plan"- saving of Rs.707.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.40085.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from State Governments of Bihar, Goa, Jharkhand, Kerala and Punjab.

(ख) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का अतिरिक्त कोचिंग के माध्यम से उन्नयन'' - 1623.33 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्कीम के संशोधन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Welfare of Scheduled Castes- Education - Up-gradation of Merit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students through extra coaching" – saving of Rs.1623.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to non approval of the modification of the scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा'' -

(क) ''कोचिंग और अनुषंगी स्कीमें'' - 165.20 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ;

(ख) ''बालिका छात्रावास'' - 508.02 लाख रु. की बचत (1650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ; और

(ग) ''मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम'' - 609.77 लाख रु. की बचत (1594.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(V) पांच शीर्षों के अंतर्गत 351.59 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2296.25 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''सामाजिक कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - सामाजिक रक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 127.17 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 128.85 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम'' - 1670.37 लाख रु. ।

(ख) ''पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा'' -

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes -Welfare of Scheduled Castes - Education" -

(a) "Coaching and Allied Schemes"– saving of Rs.165.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs);

(b) "Girls Hostels" – saving of Rs.508.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1650.00 lakhs); and

(c) "Pre-Matric Scholarship Scheme"- saving of Rs.609.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1594.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of adequate proposals from State Governments.

(V) Under five heads savings of Rs.351.59 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent to 45 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.2296.25 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2005 and vide Annexure-II to supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare – Assistance to Voluntary Organisations – Assistance to Voluntary Organisations for providing Social Defence Services" – Rs.127.17 lakhs. Actual excess, however, was Rs.128.85 lakhs.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Welfare of Scheduled Castes – Education– Post Matric Scholarship Scheme" – Rs.1670.37 lakhs.

(b) "Welfare of Backward Classes – Education" -

(i) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' - 303.04 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 293.78 लाख रु. था।

(ii) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' - 195.67 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 195.68 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''अनुसूचित जातियों का कल्याण-अन्य व्यय - अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 103.79 लाख रु. का अधिक व्यय (2550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्थित गैर - सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - बालक और बालिका छात्रावास'' - 101.70 लाख रु. का अधिक व्यय (1126.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 214.56 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से 162 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (615.85 लाख रु.) 615.40 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(i) “Post – Matric Scholarship” – Rs.303.04 lakhs. Actual excess, however, was Rs.293.78 lakhs.

(ii) “Pre – Matric Scholarship” – Rs.195.67 lakhs. Actual excess, however, was Rs.195.68 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2225” – “Welfare of Scheduled Castes - Other expenditure-Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes”- excess of Rs.103.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2550.00 lakhs) was due to release of grants to Non-Governmental Organisations located in North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Backward Classes-Education-Boys and Girls Hostels”- excess of Rs.101.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1126.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under three heads excess of Rs.214.56 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 162 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.615.85 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.615.40 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | | | | | |
| मू. | O. | 16439.00 | | 17259.15 | 17259.60 | +0.45 |
| पु. | R. | 820.15 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare | | | | | |
| मू. | O. | 1100.00 | | 100.00 | 100.00 | . . |
| पु. | R. | –1000.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas | | | | | |
| मू. | O. | 436.00 | | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –436.00 | | | | |

(I) 436.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.436.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Other Expenditure – Lump sum provision for benefit of North Eastern Region" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''4225'' - ''सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम'' के अंतर्गत 410.00 लाख रु. की बचत (1510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(II) Under Major Head "4225" – "General – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Scheduled Castes Finance and Development Corporation" – saving of Rs.410.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1510.00 lakhs); and

(III) मुख्य शीर्ष ''4235'' - ''सामाजिक कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम'' - 1000.00 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

(III) Major Head "4235" – "Social Welfare-Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Handicapped Finance and Development Corporation" – saving of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें इन निगमों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance with these Corporations.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4225'' - ''सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :-

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4225" – "General – Investment in Public Sector and Other Undertakings" – under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम'' - 972.00 लाख रु. का अधिक व्यय (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "National Backward Classes Finance and Development Corporation" – excess of Rs.972.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs); and

(खा) ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम'' - 236.00 लाख रु. का अधिक व्यय (7129.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "National Minorities Development and Finance Corporation"- excess of Rs.236.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7129.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्थित स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसीज से अधिक मांगें प्राप्त होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to more demands from State Channelising Agencies located in North Eastern Region and Sikkim.